BYJU'S EXAM PREP

Daily Editorial Analysis

Important Editorial Analysis

आपराधिक न्याय प्रणाली सुधार

(Crimnal Justice Reforms)

आपराधिक न्याय प्रणाली सामाजिक नियंत्रण का एक साधन होती है, आपराधिक न्याय प्रणाली का तात्पर्य सरकार की उन एजेंसियों से है जो कानून लागू करने, आपराधिक मामलों पर निर्णय देने और आपराधिक आचरण में सुधार करने हेतु कार्यरत हैं, आपराधिक न्याय प्रणाली सुधारों में आमतौर पर न्यायिक सुधार, जेल सुधार, पुलिस सुधार शामिल हैं। हाल ही में आपराधिक कानूनों में व्यापक बदलाव करने के उद्देश्य से, केंद्र सरकार द्वारा सभी हितधारकों के परामर्श से 'भारतीय दंड संहिता', 'आपराधिक प्रक्रिया संहिता' और 'भारतीय साक्ष्य अधिनियम' जैसे कानूनों में संशोधन की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है।

आपराधिक न्याय का उद्देश्य:

- आपराधिक घटनाओं को रोकना।
- अपराधियों और दोषियों को दंडित करना।
- अपराधियों और दोषियों का पुनर्वास।
- पीड़ितों को यथासंभव मुआवज़ा दिलाना।
- समाज में कानून व्यवस्था बनाए रखना।
- अपराधियों को भविष्य में कोई भी आपराधिक कृत्य करने से रोकना।

वर्तमान चिंता/चुनौतियां:

- मामलों के निपटारे में देरी होने की वजह से 'विचाराधीन कैदियों' और 'दोषियों' के मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है।
- सुप्रीम कोर्ट द्वारा पुलिस सुधारों पर दिए गए निर्देशों के बावजूद, शायद ही कोई बदलाव हुआ हो।
- किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने संबंधी न्यायालय के आदेशों के क्रियान्वयन में भी वर्षों का समय लग जाता है।

भारत में आपराधिक कानून:

- लॉर्ड थॉमस बबिंगटन मैकाले (Lord Thomas Babington Macaulay) को भारत में आपराधिक कानूनों के संहिताकरण का मुख्य वास्तुकार कहा जाता है।
- भारत में प्रचलित आपराधिक कानून का स्रोत कई कानूनों में निहित है – भारतीय दंड संहिता, 1860, नागरिक अधिकार अधिनियम, 1955, दहेज निषेध अधिनियम, 1961 तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989।
- भारतीय दंड संहिता (IPC) भारत की आधिकारिक आपराधिक संहिता है। इसे 1860 में लॉर्ड थॉमस बैबिंग्टन मैकाले की अध्यक्षता में 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत 1834 में स्थापित भारत के पहले विधि आयोग की सिफारिशों पर तैयार किया गया था।
- आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC), 1973 भारत में आपराधिक कानून के क्रियान्यवन के लिये मुख्य कानून है।
- आपराधिक कानून और आपराधिक प्रक्रिया संविधान की सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची में सम्मिलित हैं।

आपराधिक कानूनों से संबंधित समितियाँ:

- माधव मेनन समिति (2007)
- मलिमथ समिति (2000)
- गृह मंत्रालय (MHA) द्वारा आपराधिक कानून में सुधार करने हेतु एक राष्ट्रीय स्तर की समिति का गठन किया है। इस समिति के अध्यक्ष रणबीर सिंह (कुलपति,नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली) हैं।